छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 328/2009

1. श्री द्वारिका प्रसाद रात्रे, – अपीलार्थी
ग्राम–गुदगुदा, ग्राम पंचायत–अमेठी,
विकासखण्ड–आरंग, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी/सचिव, – प्रति अपीलार्थी
ग्राम पंचायत–अमेठी,
विकासखण्ड–आरंग, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 09 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री द्वारिका प्रसाद रात्रे द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जनपद पंचायत कार्यालय के समक्ष दिनांक 23.04.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 05.12.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील पर सुनवाई नहीं करने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.03.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से स्पष्टीकरण बुलाया गया था कि प्रथम अपील में उनके द्वारा सुनवाई क्यों नहीं की गई, किन्तु उसका उत्तर भी उनकी ओर से अंतिम सुनवाई के बाद प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उन्होंने आवेदन दिनांक 20.01.2009 को सचिव, ग्राम पंचायत को भेजकर तीन दिन के भीतर जानकारी देने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक ग्राम में नहीं रहने के कारण सचिव जानकारी नहीं दे सका तथा अब दिनांक 08.10.2009 को जानकारी पूरी दे दी गई है, जिसकी पावती भी प्रस्तुत की। अतः इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आरंग को सचेत करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे भविष्य में आयोग के पत्रों का समयावधि में उत्तर भेजे। साथ ही प्रथम अपील में विधिवत सुनवाई किया करें। प्रकरण में विलंब के लिए सचिव/जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु उसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यक्तिगत सुनवाई के समय भी उन्होंने कोई संतोषप्रद कारण विलंब के लिए नहीं बताया। प्रकरण में दिनांक 10.06.2009 को सचिव को यह निर्देश दिये गये थे कि विस्तृत जानकारी होने के कारण संबंधित रिकार्ड का 15 दिवस में निःशुल्क अवलोकन कराया जावे, तत्पश्चात् उनसे सूची लेकर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे और अधिक की चाहने पर नियमानुसार शुल्क लेकर दी जावे। किन्तु सचिव द्वारा दिनांक 04.08.2009 को इस आदेश का पालन हेतु एक अवसर और चाहने पर अंतिम सुनवाई दिनांक 07.10.2009 तक इस पालन नहीं किया गया और पालन नहीं करने के संबंध में उनके द्वारा कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सचिव, ग्राम पंचायत, अमेठी का रवैया सूचना का अधिकार के प्रति अत्यन्त लापरवाहीपूर्ण भरा रहा है और यहॉ तक कि उन्होंने आयोग के आदेश का अंतिम सुनवाई दिनांक तक पालन नहीं किया और विलंब के लिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, अतः सचिव, ग्राम पंचायत, अमेठी को विलंब के लिए दोषी पाया जाता है, किन्तु वे अल्पवेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण तथा दिनांक 08.10.2009 को पूरी जानकारी दे देने के कारण थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर राशि दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आरंग को धारा–20(2) के अन्तर्गत उक्त सचिव के विरूद्ध विलंब के लिए अनुशासनात्क कार्यवाही करने की अनुशांसा की जाती है। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई जानकारी शेष रही हो तो उसका भी निःशुल्क निरीक्षण कराकर पूर्व निर्देशानुसार दी जावे।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com